

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....161982.

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 12564

दिनांक 07/12/2017



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 3077 पत्रावली संख्या 1-14875 दिनांक 2007-2008

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि
मैनेजमेंट सोसाइटी (एचएमएस), रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजी
लखनऊ।

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 52 दिनांक 09-04-2007 को दिनांक

09-04-2017 पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1250 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 29-11-2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश
Pal.